

उद्योग निदेशालय

पत्रांक 177/अ/१९२१

पटना, दिनांक 28.03.18

सं० सं०-०५/उ० नि० ब० (आवंटन) २५/२०१७

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

सहायक उद्योग निदेशक (लेखा),
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।


विषय :-

मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता, मांग सं०-23, उपशीर्ष-0135-इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेंट योजना की स्थापना, विपत्र कोड 23-2852801020135, विषय शीर्ष 0135.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन मद से वित्तीय वर्ष 2017-18 में इनक्यूवेशन सेंटर की स्थापना हेतु बिहार उद्योग संघ को द्वितीय किस्त के रूप में रू० 28,00,000 (अठाईस लाख रुपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति के आलोक में राशि का आवंटन।

महाशय,

- उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में संबंधित व्यय को वहन करने हेतु कुल रू० 28,00,000 (अठाईस लाख रुपये) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।
- इस राशि का व्यय मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता, मांग सं०-23, उपशीर्ष-0135-इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेंट योजना की स्थापना, विपत्र कोड 23-2852801020135, विषय शीर्ष 0135.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन मद से किया जाएगा।
 - यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2017-18 के विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 1262 दिनांक 26.03.2018 के आलोक में दिया जा रहा है। इसके सभी निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
 - राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि०(२) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
 - राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :-
(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।
(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।
(ग) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं०/बिल नं० एवं मासिक CTMIS प्रतिवेदन के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।
(घ) 2017-18 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 31 मार्च 2018 तक अवश्य भेज दें।
 - राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

विश्वासभाजन



उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

कृ० पृ० उ०

ज्ञापांक 177/31/927

पटना, दिनांक 28.03.18


प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 177/31/927

पटना, दिनांक 28.03.18

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण, बिहार, पटना/श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ए0सी0-डी0सी0 यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग/उप उद्योग निदेशक(योजना), उद्योग निदेशालय/प्रशाखा-05, उद्योग निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई0टी0मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी के अधिकृत ई-मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।


उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।